

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश

जावक क्रमांक-193/2025

भोपाल, दिनांक - 24/6/25

//विधि आदेश//

माह जुलाई-अगस्त 2025 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक आपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए जिला न्यायालय भोपाल के निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे :-

क्रं	न्यायिक अधिकारी का नाम	जुलाई 2025	अगस्त 2025	164 दं.प्र.सं. के कथन हेतु ड्यूटी चार्ट
1	श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर	5		श्रीमती रुचिता सिंह गुर्जर
2	सुश्री तनुश्री शिवहरे	6		सुश्री तनुश्री शिवहरे
3	सुश्री हेमलता अहिरवार	13		सुश्री हेमलता अहिरवार
4	श्रीमती गुंजन शर्मा	19		श्रीमती गुंजन शर्मा
5	सुश्री कल्पना कोतवाल	20		सुश्री कल्पना कोतवाल
6	सुश्री आरती आर्य	27		सुश्री आरती आर्य
7	सुश्री भाविनी सिंह		2	सुश्री भाविनी सिंह
8	सुश्री एकता ठाकुर		3	सुश्री एकता ठाकुर
9	सुश्री प्रज्ञा मिश्रा		9	सुश्री प्रज्ञा मिश्रा
10	श्रीमती शोभना गौतम		10	श्रीमती शोभना गौतम
11	श्रीमती अंजली सिंह		15	श्रीमती अंजली सिंह
12	सुश्री मेघा अग्रवाल		16	सुश्री मेघा अग्रवाल
13	सुश्री पलक राय		17	सुश्री पलक राय
14	सुश्री लक्ष्मी वास्कले		24	सुश्री लक्ष्मी वास्कले
15	श्रीमती शीला मैना यादव		27	श्रीमती शीला मैना यादव
16	श्रीमती अनुदिता गुप्ता		31	श्रीमती अनुदिता गुप्ता

नोट :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमाण्ड ड्यूटी करने

की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमांड कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:-

माह जुलाई 2025 में श्री जयदीप मौर्य जेएमएफसी, भोपाल

माह अगस्त 2025 में श्री राहुल कुमार नामदेव जेएमएफसी, भोपाल

3. उक्त शासकीय अवकाशों में यदि पुलिस विभाग द्वारा काबिंंग गश्त की जाती है तो निम्नानुसार अतिरिक्त न्यायिक दण्डाधिकारीगण उक्त रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे :-

माह जुलाई 2025 में श्री कपिल बौरासी, जेएमएफसी, भोपाल

माह अगस्त 2025 में श्री कृष्णकांत बागरे, जेएमएफसी, भोपाल

4. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।

5. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

(अग्नीश्र कुमार द्विवेदी)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक...193.../2025
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24.6.25

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल
3. रीडर, सीजेएम कोर्ट, भोपाल
4. कम्प्यूटर अनुभाग, भोपाल
5. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अग्नीश्र कुमार द्विवेदी)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भोपाल

न्यायालय-मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल मध्य प्रदेश

जावक क्रमांक- 199 / 2025

भोपाल, दिनांक - 24.6.25

// विविध आदेश //

माह जुलाई-अगस्त 2025 के शासकीय अवकाश के दौरान आवश्यक अपराधिक एवं रिमाण्ड कार्य को निष्पादित करने के लिए तहसील न्यायालय बैरसिया, जिला भोपाल के निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी सुनिश्चित की जाती हैं। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट अपने न्यायालयों में दिन में 3:00 बजे से 5:00 बजे तक आवश्यक एवं रिमाण्ड कार्य सम्पादित करेंगे :-

क्रं	न्यायिक अधिकारी का नाम	जुलाई 2025	अगस्त 2025
1	श्री अर्जित दुबे	5	
2	श्री अर्जित दुबे	6	
3	सुश्री रंजना डोडवे	13	
4	सुश्री अर्पणा सोनी	19	
5	सुश्री अर्पणा सोनी	20	
6	सुश्री रंजना डोडवे	27	
7	श्री राजन गुप्ता		2
8	श्री राजन गुप्ता		3
9	सुश्री रंजना डोडवे		9
10	सुश्री रंजना डोडवे		10
11	श्री अर्जित दुबे		15
12	श्री अर्जित दुबे		16
13	श्री राजन गुप्ता		17
14	सुश्री अर्पणा सोनी		24
15	सुश्री अर्पणा सोनी		27
16	श्री राजन गुप्ता		31

नोट :-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी अवधि को शामिल करते हुए मेडिकल अवकाश, अर्जित अवकाश, आकस्मिक या ऐच्छिक अवकाश का आवेदन प्रस्तुत करते हैं अथवा प्रशिक्षण में या मुख्यालय से बाहर जाते हैं तो वे मुख्यालय पर उपस्थित अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से अपनी रिमाण्ड ड्यूटी करने की सहमति एवं स्वीकृति आवश्यक रूप से लेकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे अथवा अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर जाने वाले न्यायिक अधिकारी का रिमाण्ड कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क्र.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

2. उक्त अवकाशों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य दिवस पर कोई अवकाश अचानक घोषित किया जाता है तो निम्नानुसार न्यायिक दंडाधिकारीगण रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे:-

माह जुलाई 2025 में सुश्री अर्पणा सोनी जेएमएफसी, बैरसिया भोपाल

माह अगस्त 2025 में सुश्री रंजना डोडवे जेएमएफसी, बैरसिया भोपाल

3. पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने की दशा में उनके स्थान पर उनके न्यायालय में आये पीठासीन अधिकारी द्वारा या कार्य विभाजन पत्रक की अनुसूची क.-1 के अनुसार प्रभारी अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी। तत्संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं होगा।

4. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के यथानिर्देशानुसार यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारण से रिमाण्ड ड्यूटी आपसी सहमति से बदल लेते हैं तो उसकी पूर्व सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल को देनी होगी। इसके अलावा अन्य किसी भी कारण से रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तित नहीं होगी।

(अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 194 / 2025
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24.06.25

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर से सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील बैरसिया भोपाल
3. रीडर, सीजेएम कोर्ट, भोपाल
4. जेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(अग्नीन्ध्र कुमार द्विवेदी)
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
भोपाल